प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी जोधपुर** थाना **ए.सी.बी, सी.पी.एस., जयपुर** वर्ष 2022

प्र.इ.रि.सं. 99/2022 दिनांक 25/3/2022

2. (1) **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम–2018** धारा ......7,7ए..............120बी भा0द0स0

(2) अधिनियम ....धारा..

(3) अधिनियम ....–.........................धारा...........– ....

(4) अन्य अधिनियम व धारायें..–...

3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या 475 समय 4.30 PM

(ब) अपराध के घटने का दिन **गुरूवार** दिनांक **24.03.2022** समय **06.45 पी.एम.**

(स) थाना/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **15.03.2022** समय **12.10 पी.एम.**

4. सूचना किस्म :– टाईपशुदा लिखित

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **पुर्व दिशा लगभग 80 किमी**

(ब) पता :– **पटवार भवन के पास ग्राम कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर**

....बीट सख्या.................–...................जरायमदेही सं...–......

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना ....–..............................जिला..............–..........................

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– **श्री भंवरलाल** (ब) पिता का नाम : **श्री खीयाराम**

(स) जन्म तिथि : **37 वर्ष** (द) राष्टीयता;– **भारतीय**

(य) पासपोर्ट सख्या..................–..जारी होने की तिथि ...–..........

जारी होने की जगह ....–...

(र) व्यवसाय :– खेती–बाड़ी

(ल) पता:– **गांव कोसाणा, पुलिस थाना एव, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण**

7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

1. श्री योगेन्द्रसिंह पुत्र श्री गुलाबसिह उम्र 41 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम पोस्ट सिलारी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
2. श्री श्रवणराम उर्फ श्रवण कुमार पुत्र स्व. श्री माधुराम जाति मेघवाल उम्र 30 वर्ष पेशा कोसाणा पटवारी के साथ कार्य करना निवासी पटवार भवन के पास ग्राम कोसाणा, पुलिस थाना एव तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

8. शिकायत/इत्तिला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण

....

9. (चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण), (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)

....

10. चोरी हुई सम्पत्ति कुल मूल्य ....**रिश्वत राशि 1,500 रूपये**.........................

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट), (अप्राकृतिक मुत्यु मामला सं0), (यदि कोई हो तो)...

12. (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु), (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जोधपुर।

विषय :— रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो पकड़वाने बाबत।

महोदयजी,

सादर निवेदन है कि मेरे पिता श्री खीयाराम पुत्र श्री सुजाराम जाति विश्नोई निवासी कोसाणा तहसील पीपाड़ जिला जोधपुर में अपनी कृषि भुमि खसरा नं. 66 रकबा 4.1987 हैक्टेयर पटवार हल्का कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की अपने हिस्से की 1/2 भाग मुझे दिनांक 26.08.2020 को जरिये दान पत्र दान की। यह दान पत्र उपपंजीयक पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के वहां पंजीकृत कराया। मैंने इस दान पत्र की फोटो प्रति मेरे नाम नामान्तरण दर्ज करने के लिये हल्का पटवारी कोसाणा श्री योगेन्द्रसिंह को दी। उस समय श्री योगेन्द्रसिंह ने मेरे से नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही शुरू करने के लिये 2000/—रूपये मांगे जो मैंने उसे दिये। उक्त भुमि का नामान्तरण कई दिनों तक मेरे नाम दर्ज नहीं होने पर मैंने श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी से सम्पर्क किया तो उसने कहा नामान्तरण दर्ज करने की प्रक्रिया मैंने शुरू कर दी है। इसकों तहसील के रिकार्ड में ऑनलाईन तुम्हारे नाम दर्ज करने के लिये तहसील के कार्मिकों को मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। इसलिये 2000/—रूपये रिश्वत राशि देनी पड़ेगी। इस भुमि के नामान्तरण के बारे में मैंने आज ऑनलाईन जमाबन्दी प्राप्त कर देखा तो मेरे नाम नामान्तरण दर्ज होना प्रक्रियाधीन होना बताया। श्री योगेन्द्रसिंह इस नामान्तरण को ऑनलाईन दर्ज कराने के लिये 2000/—रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी को अब कोई रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी के कार्य में श्री श्रवणराम निवासी कोसाणा मदद करता है तथा श्री श्रवणराम श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी के साथ ही रहता है। योगेन्द्रसिंह ने कहा मैं कहूं तो रिश्वत राशि श्रवणराम को दे देंना। मैं श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी व श्री श्रवणराम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुँ। इनसे मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है तथा न ही इनसे मेरा कोई पूर्व का लेन—देन बकाया है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें। मैं मेरे द्वारा खरीद की गई भुमि का पंजीकृतशुदा दान पत्र की प्रतिलिपि व ऑन लाईन जमाबन्दी की आज दिनांक 15.03.2022 को निकाली गई प्रतिलिपि पेश कर रहा हूँ।

प्रार्थी
एसडी/—
(भंवरलाल)
पिता का नाम— खीयाराम
जाति— पंवार विश्नोई, उम्र—37 वर्ष
निवासी कोसाणा, पुलिस थाना पीपाड़
शहर, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर
मोबाईल नं. 9950911352

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 15.03.2022 को उक्त लिखित रिपोर्ट परिवादी श्री भंवरलाल पुत्र श्री खीयाराम जाति— पंवांर विश्नोई, उम्र—37 वर्ष निवासी कोसाणा, पुलिस थाना पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर ने कार्यालय में उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर भोपालसिंह लखावत को पेश की। मजीद दरियाफत् पर परिवादी श्री भंवरलाल ने बताया कि मेरे पिता श्री खीयाराम पुत्र श्री सुजाराम जाति विश्नोई निवासी कोसाणा तहसील पीपाड़ जिला जोधपुर में अपनी कृषि भुमि खसरा नं. 66 रकबा 4.1987 हैक्टेयर पटवार हल्का कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की अपने हिस्से की 1/2 भाग मुझे दिनांक 26.08.2020 को जरिये दान पत्र दान की। यह दान पत्र उपपंजीयक पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के वहां पंजीकृत कराया। मैंने इस दान पत्र की फोटो प्रति मेरे नाम नामान्तरण दर्ज करने के लिये हल्का पटवारी कोसाणा श्री योगेन्द्रसिंह को दी। उस समय श्री योगेन्द्रसिंह ने मेरे से नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही शुरू करने के लिये 2000/—रूपये मांगे जो मैंने उसे दिये। उक्त भुमि का नामान्तरण कई दिनों तक मेरे नाम दर्ज नहीं होने पर मैंने श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी से सम्पर्क किया तो उसने कहा नामान्तरण दर्ज करने की प्रक्रिया मैंने शुरू कर दी है। इसकों तहसील के रिकार्ड में ऑनलाईन तुम्हारे नाम दर्ज करने के लिये तहसील के कार्मिकों को मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। इसलिये 2000/—रूपये रिश्वत राशि देनी पड़ेगी। इस भुमि के नामान्तरण के बारे में मैंने आज ऑनलाईन जमाबन्दी प्राप्त कर देखा तो मेरे नाम नामान्तरण दर्ज होना प्रक्रियाधीन होना बताया। श्री योगेन्द्रसिंह इस नामान्तरण को ऑनलाईन दर्ज कराने के लिये 2000/—रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी को अब कोई रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी के कार्य में श्री श्रवणराम निवासी कोसाणा मदद करता है तथा श्री श्रवणराम श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी के साथ ही रहता है। श्री योगेन्द्रसिंह ने कहा मैं कहूं तो रिश्वत राशि श्रवणराम को दे देना। मैं श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी व श्री श्रवणराम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुँ। इनसे मेरी कोई निजी